

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

राज्य स्वास्थ्य शिक्षा पदाधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान,
शेखपुरा, पटना।

पटना, दिनांक : 20-4-12

विषय : मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-113-लोक स्वास्थ्य प्रचार-0001 प्रशिक्षण एवं प्रसार आंदोलन विपत्र कोड - N2210061130001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयों में कुल ₹24,12,700/- (चौबीस लाख बारह हजार सात सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयों में कुल ₹24,12,700/- (चौबीस लाख बारह हजार सात सौ) मात्र का आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

- मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-113-लोक स्वास्थ्य प्रचार-0001 प्रशिक्षण एवं प्रसार आंदोलन विपत्र कोड - N2210061130001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबन्धित राशि से किया जायेगा।
 - सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि०(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि०(2) दिनांक-8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-3388वि०(2) दिनांक 18.4.11 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।
 - इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य स्वास्थ्य शिक्षा पदाधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
 - निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमनानुकूल नियुक्ति पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
 - क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा।
 - आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
 - यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 - कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।
 - संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
 - विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
 - जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।
- सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।

१३

19/4/12

10. वित्त विभागीय पत्रांक- 3833/वि0(2) दिनांक-02.04.2012 में निहित निदेश के आलोक में इस आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2011-12 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार)
19/4/12

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 12(4)A

पटना, दिनांक : 20-4-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार)
19/4/12

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	6
1	वेतन (01-01)	1384000	1107200	276800
2	जीवन यापन भत्ता (01-03)	928000	742400	185600
3	मकान किराया भत्ता (01-04)	510000	408000	102000
4	परिवहन भत्ता (01-05)	36000	28800	7200
5	चिकित्सा भत्ता (01-06)	14000	11200	2800
6	अन्य भत्ता (01-07)	127000	101600	25400
	योग वेतन एवं भत्ते:-	2999000	2399200	599800
6	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	5000	2500	2500
7	यात्रा व्यय (11-01)	10000	5000	5000
8	कार्यालय व्यय (13-01)	5000	2500	2500
9	विधि प्रभार (13-05)	5000	2500	2500
10	वर्दी/ पोषाक (13-06)	2000	1000	1000
	कुल	3026000	2412700	613300

(चौबीस लाख बारह हजार सात सौ) रु0 मात्र

(संजय कुमार)
19/4/12

सरकार के संयुक्त सचिव